



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1938 (श10)
(सं0 पटना 667) पटना, मंगलवार, 16 अगस्त 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

16 अगस्त 2016

सं० एल0जी0-01-12/2016/158-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016
(बिहार अधिनियम 11, 2016)

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) का संशोधन के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य को सड़कसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।** (1) यह अधिनियम बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 में संशोधन।** (1) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उपधारा (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (ग ग) जोड़ी जाएगी:-

“(ग ग) **चालन अनुज्ञप्ति**” का वहीं अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) में इसके लिए समनुदेशित है;”

(2) **बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उप-धारा (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा एँ (घ घ क) जोड़ी जायेंगी, :-**

“(घ घ) **‘जिला समिति**” से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा-215 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति;

(घ घ क) **‘निधि**” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-6 ख के अधीन गठित सड़क सुरक्षा निधि;”

(3) **बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उप-धारा (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (ट ट) जोड़ी जाएगी, :-**

(ट ट) **‘सड़क सुरक्षा उपकर**” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-6 क के अधीन उद्गृहीत उपकर;

(4) **बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उप-धारा (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा एँ (ढ ढ) और (ढ ढ क) जोड़ी जायेंगी :-**

“(ढ ढ) **‘राज्य परिषद्**” से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा-215 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्;

(ढ ढ क) **‘राज्य सरकार**” से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार।”

3. **बिहार अधिनियम 8, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग, एवं 6घ का अंतःस्थापन।-**

बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-6 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएँ जोड़ी जाएंगी :-

‘6क, सड़क सुरक्षा उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण। - (1) सड़क सुरक्षा उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित दर से किया जायेगा:-

(क) अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों ;

(ख) इस अधिनियम की धारा-7 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार एक मुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहनों से “वाहन मूल्य” का एक प्रतिशत;

(ग) इस अधिनियम की धारा-7 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार से इतर कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन के “वार्षिक कर” का एक प्रतिशत;

परन्तु उक्त उपकर अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के दौरान एक बार से अधिक उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए -

(i) “अनुज्ञप्तिधारी” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके नाम से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) के अध्याय II के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा चालन अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है।

(ii) “वाहन के मूल्य” से अभिप्रेत है; बिहार कर वर्धित करारोपण अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 की धारा-27) के अधीन वाहन पर उद्गृहीत कर की रकम के बिना वाहन का मूल्य ;

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय हरेक उपकर यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वामी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके पास मोटर वाहन का कब्जा हो अथवा नियंत्रण हो, द्वारा संदेय होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत उपकर धारा-3 के अधीन नियुक्त कर निर्धारक पदाधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर संगृहीत किया जाएगा जो विहित किया जाए।

(4) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत उपकर का संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के अधीन विहित समय के भीतर ऐसे उपकर का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में हरेक माह में देय उपकर के 2.5% के बराबर की राशि अथवा उसके किसी भाग का संदाय करेगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत उपकर के आगमों में से संग्रहण और वसूली के खर्चों को सरकार द्वारा विनिश्चित रीति से घटाने के पश्चात् उसे धारा-6ख के अधीन स्थापित निधि में विनियोजित किया जाएगा।

6ख निधि की स्थापना और उपयोग—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" कहलाएगी।

(2) निधि में निम्नलिखित में जमा किया जाएगा:—

- (क) धारा-6क की उप-धारा (5) के अधीन विनियोजित राशि;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;
- (ग) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम;
- (घ) निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं अथवा संगठनों से प्राप्त अंशदान।

(3) राज्य सरकार हरेक वर्ष निधि में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59,1988) की धारा-200 के अधीन पूर्व वर्ष में उद्गृहीत प्रशमन करनेवाली फीस के दस प्रतिशत के बराबर की राशि अंशदान करेगी।

(4) निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा:—

- (क) सड़क सुरक्षा कार्यक्रम;
- (ख) सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम;
- (ग) सड़क सुरक्षा के सम्बद्ध उपकरणों की खरीद;
- (घ) सड़क सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर अनुमोदित अध्ययन और शोध के निधिकरण;
- (ङ) सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निधिकरण;
- (च) अभिघात देखभाल कार्यक्रमों एवं संबंधित क्रियाकलापों;
- (छ) सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे अन्य व्यय जिसे राज्य सरकार उचित समझे;
- (ज) कोई अन्य प्रयोजन जिसे विहित किया जाए।

6ग निधि का निहित होना और प्रशासन।— (1) निधि, राज्य परिषद् में निहित होगी और राज्य परिषद् द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) राज्य परिषद् अपने में निहित निधि का संचालन ऐसी रीति से करेगी जो विहित की जाए।

(3) सभी राशियाँ जो निधि के हिस्से हैं उसी बैंक में जमा की जायेंगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती है अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और खाता ऐसी रीति से संचालित की जाएगी जो राज्य परिषद् विनिश्चय करे।

6घ अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति।— राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किसी अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा रूपांतरण कर सकेगी।

4. बिहार अधिनियम 8, 1994 में नयी अनुसूची का अंतःस्थापन।—बिहार अधिनियम 8, 1994 की अनुसूची III के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची IV जोड़ी जाएगी:—

अनुसूची IV

क्रम सं०	अनुज्ञप्तिधारी का वर्ग	उप कर की राशि रु० में
1	नौसिखिया की अनुज्ञप्ति	50
2	गियर अथवा बिना गियरवाले दुपहिया के लिए अनुज्ञप्ति	100
3	हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति—गैर परिवहन	150
4	हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति— परिवहन	200
5	मध्यम और भारी मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति	500

16 अगस्त 2016

सं० एल०जी०-01-12/2016/159-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2016 को अनुमत **बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

THE BIHAR MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2016

[Bihar Act 11,2016]

AN

ACT

TO AMEND

THE BIHAR MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1994 (Bihar Act 8, 1994)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the Republic of India in the following manner:-

1. Short title, extent and commencement— (1) This Act may be called the Bihar Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1994.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in section-2 of the Bihar Act 8, 1994—(1) After sub-section (c) of section-2 of Bihar Act 8, 1994 the following new sub-section (cc) shall be added, :-

“(cc) “**driving license**” shall have the meaning as assigned to it in the Motor Vehicles Act, 1988 (Act 59 of 1988);”

(2) After sub-section (d) of section-2 of Bihar Act 8, 1994 the following new sub-sections (dd) and (dda) shall be added, :-

“(dd) “**district committee**” means the District Road Safety Committee constituted by the State Government under sub-section (3) of section-215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act 59 of 1988);

(dda) “**fund**” means the Road Safety Fund constituted under section 6B’ of this Act.”

(3) After sub-section (k) of section-2 of Bihar Act 8, 1994 the following new sub-section (kk) shall be added, :-

“(kk) “**road safety cess**” means the cess levied under section-6A of this Act.”

(4) After sub-section (n) of section-2 of Bihar Act 8, 1994 the following new sub-sections (nn) and (nna) shall be added, :-

“(nn) “**state council**” means the State Road Safety Council constituted by the State Government under sub-section (2) of section-215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act 59 of 1988);

(nna) “**State Government**” means the Government of the State of Bihar”

3. Insertion of the new sections 6A, 6B, 6C and 6D in Bihar Act 8, 1994— After section-6 of Bihar Act 8,1994, the following new sections shall be added,:-

“6A. Levy and collection of road safety cess— (1) There shall be levied and collected a road safety cess at the following rates:-

(a) every licensee at the rates specified in Schedule IV of this Act;

(b) every vehicle liable to pay one time tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section-7, at the rate of one percent of the value of such vehicle; and

(c) every vehicle liable to pay tax under this Act, other than a vehicle liable to one time tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section-7, at the rate of one percent of the annual tax payable under this Act on such vehicle:

Provided that the said cess shall not be levied more than once during the validity of a license.

Explanation—For the purposes of this sub-section—

(i) the expression “licensee” means a person to whom a driving license has been issued by the competent authority under Chapter II of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act 59 of 1988).

(ii) the expression “value of such vehicle” means value of the vehicle without the amount of tax levied on such vehicle under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).

(2) Every cess leviable under sub-section (1) shall be payable by the registered owner or any person having possession or control of the motor vehicle, as the case may be.

(3) The cess levied under sub-section (1) shall be collected by the Tax Assessing Officer appointed under section-3 in such manner and at such time as may be prescribed.

(4) Where any person liable to pay the cess levied under sub-section (1) fails to pay such cess within the time prescribed under sub-section (3), such person shall, in addition to the cess, pay

by way of fine, an amount equal to two and a half percent of the cess due for every month, or part thereof, of default.

(5) The proceeds of the cess levied and collected under this Act by the State Government shall, after deducting the expenses of collection and recovery in such manner as may be determined by the Government, be appropriated to the Fund established under section 6B.

6B. Establishment and utilization of the Fund— (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, establish a Fund to be called the "Bihar Road Safety Fund".

(2) These shall be credited to the Fund,:-

- (a) the amount appropriated under sub-section (5) of section-6A;
- (b) grants, loans or advances made by the State Government;
- (c) grants, loans or advances made by the Government of India;
- (d) contributions from public or private institutions or organizations.

(3) The State Government shall contribute to the Fund every year, an amount equal to ten percent of the compounding fee collected in the previous year under section-200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988).

(4) The Fund shall be utilized for all or any of the following purposes,:-

- (a) road safety programmes;
- (b) awareness programme in respect of road safety;
- (c) purchases of instrument connected with road safety;
- (d) funding of approved studies on projects and research regarding road safety;
- (e) funding of training programmes regarding road safety;
- (f) trauma-care programmes and related activities;
- (g) such other expenditure on matters connected with road safety as the State Government may deem fit;
- (h) any other purpose as may be prescribed.

6C. Vesting and administration of the Fund— (1) The Fund shall vest in and be administered by the State Council.

(2) The State Council shall administer the Fund vested in it in such manner, as may be prescribed.

(3) All amounts forming part of the Fund shall be deposited in the same bank as the receipt of other taxes levied under this Act or in such other bank as the State Government may, by notification, specify and the account shall be operated in such manner as the State Council may decide.

6D. Power to amend Schedule— The State Government may, by notification in the Official Gazette, add to, amend, alter or modify any of the Schedules to this Act."

4. Insertion of a new Schedule in Bihar Act 8, 1994 — After Schedule III of, Bihar Act 8, 1994 the following new Schedule IV shall be inserted, namely—

“Schedule IV

Sl No	Class of licensee	Amount of Cess in rupees
1	Learners' License	50
2	License for Two wheeler, whether with or without gear	100
3	License for Light Motor Vehicle License-Non-transport	150
4	License for Light Motor Vehicle License-Transport	200
5	License for Medium and Heavy Motor vehicles	500

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 667-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>